राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/नीलामी/2019/ 132 **दिनांक :–** 7/6/19

आदेश

आवासीय अभियन्ता, खण्ड–बाडमेर, उप आवासन आयुक्त वृत्त–द्वितीय, जोधपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता–द्वितीय, जोधपुर के अधीन जैसलमेर आवासीय योजना के 01 मध्यम आय वर्ग–अ व मा लटियाल, भवानी नगर, फलौदी के ईडब्ल्यूएस के 05, एलआईजी के 07 व एमआईजी–बी के 01 कुल 14 स्वतन्त्र आवासों को मण्डल संचालक की बैठक 229 दिनांक 27.01.16 के बिन्दु सं. 229.21 के उप बिन्दु 02 में लिये गये निर्णयों की पालना एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता–द्वितीय, जोधपुर द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर नीलामी के माध्यम से निस्तारण करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। नीलामी से निस्तारण किये जाने वाले स्वतन्त्र आवासों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1.	जैसलमेर आवासीय योजना	एम.आई.जी.–ए	N-20	1
2.	माँ लटियाल भवानी नगर फलौदी	इ.डब्ल्यू.एस.	3-A-70, 3-B-52, 3-B-87, 1-P-13, 2-N-23,	5
		एल.आई.जी.	1-E-05, 2-H-24, 3-A-93, 3-A-99, 3-A-106, 3-B-09, 4-A-88	7
		एम.आई.जी.–बी	4-A-94	1
			कुल	14

संबधित उप आवासन आयुक्त एंव अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित स्वतन्त्र आवासों का नीलामी के माध्यम से निस्तारण निम्न शर्तों पर किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लेट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावें, की उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014–15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावें।
3. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत् किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत् कोई आश्वासन /शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावें।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त का पैरा संख्या 23/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

<u>प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ :–</u>

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0) प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता –द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6 उप आवासन आयुक्त, रा0 आ0म0 ,वृत–द्वितीय, जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड–बाडमेर, रा0आ0म0, बाडमेर।
8. सयुक्त एनाालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक